

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

//विविध आदेश//

क्रमांक 30 /तीन-16-1/2005

हरदा दिनांक 27/05/2023

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/2451/111-18-28/57 ॥ जबलपुर दिनांक 17.05.2019 के अनुक्रम में इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ तृतीय कर्मचारियों का न्यायालयों एवं अनुभागों के कार्य को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित अवधि अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश (विशेष अवकाश) स्वीकृत किया जाता है :-

क0	न्यायिक अधिकारी का नाम	ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि	रिमांक
1	2	3	4
1	श्री हरगोविन्द मालवीय, निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा	दिनांक 29.05.2023 से दिनांक 01.06.2023 तक कुल 04 दिवस का विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश।	—
2	श्री प्रकाश नागराज, ग्रंथपाल, ग्रंथालय अनुभाग, हरदा	दिनांक 31.05.2023 से दिनांक 03.06.2023 तक कुल 04 दिवस का विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	—

उपरोक्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अवकाश अवधि में अपने-अपने मोबाईल चालू रखे एवं सूचना प्राप्त होने पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होंगे। कर्मचारीगण यह सुनिश्चित करें कि उनके पद का कार्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

कृते— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
हरदा (म0प्र0)

हरदा दिनांक 27-05-2023

पृ0क्र0 711 /तीन-16-1/2005

प्रतिलिपि :-

- 1 श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी, ग्रंथालय अनुभाग, हरदा
- 2 श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
- 3 प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
- 4 प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5 सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण को ई-मेल व वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित की जावे व जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय  
हरदा (म0प्र0)